राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1684 / 2025

नूर मोहम्मद खान

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री शिवात्मा टांक, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर सीएचसी, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन / स्थानांतरण उप जिला चिकित्सालय बायतु, बालोतरा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को पूर्व में आदेश दिनांक 11.09.2024 के द्वारा अपीलार्थी को भीलवाड़ा में स्थानांतरित किया गया था, जिस आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2003 / 2024 में चुनौती दी थी। उक्त अपील में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 23.09.2024 को स्थगन आदेश पारित कर अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति को स्थगित रखा था। वर्तमान में अपीलार्थी को पुनः स्थानांतरित किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील लंबित रखते हुए अपीलार्थी का पुनः स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को पूर्व में स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में स्थानांतरित किया गया था, जिस आदेश को अधिकरण ने स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये थे। उक्त अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 23.09.2024 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार नये सिरे से अपीलार्थी का स्थानांतरण करने

के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान में अपीलार्थी को नये सिरे से स्थानांतरित किया गया है, जो प्रतिबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात किया गया है। ऐसे में पूर्व में दिये गये स्थगन आदेश के आधार पर वर्तमान स्थानांतरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)